फरीदाबाद

मजदूर समाचार

दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा

नई सीरीज नम्बर 90 दिसम्बर 1995

इस अंक में

- झालानी टूल्स
- लेबर विभाग और अदालत
- कटलर हैमर
- पेन्शन स्कीम
- केल्विनेटर

मैनेजमेन्टों के बीच एक बहस

3-9 नवम्बर के इकॉनोमिक टाइम्स में **मारूति, हीरो होन्डा, एस्कोर्ट्स, आनन्द ग्रुप** और **आयशर** के बड़े साहब लोगों से बात-चीत कर सुश्री सीमा दत्त ने मैनेजमेन्टों के बीच इनसैन्टिव के बारे में चल रही बहस की एक झलक प्रस्तुत की है। काफी जानकारी हमने सीमा के लेख से ली है।

जापान में मैनेजमेन्टों द्वारा इनसैन्टिव स्कीमें खत्म कर देने और अमरीका में 60 परसैन्ट कम्पनियों में इनसैन्टिव बन्द कर दिये जाने की पृष्ठभूमि में यह बहस यहाँ हो रही है। आयशर में 15 साल से जारी इनसैन्टिव स्कीम खत्म कर दी गई है और एस्कोर्ट्स में इसे समाप्त करने के लिये मैनेजमेन्ट तैयारी कर रही है। आनन्द ग्रुप की नई फैक्ट्रियों में इनसैन्टिव स्कीमें लागू नहीं की गई हैं और पुरानियों में 30 साल से जारी यह स्कीमें खत्म करने पर हँगामे के डर से मैनेजमेन्ट इन्हें सजा के तौर पर भुगत रही है। मारूति में नरमी से इनसैन्टिव खत्म करने पर विचार हो रहा है। हीरो होन्डा में इनसैन्टिव स्कीम का हनीमून का दौर है।

★ मजदूरों को अफीम की घुट्टियाँ देने के लिये इन्टरनेशनल लेबर ऑरगनाइजेशन (आई एल ओ) दुनियाँ-भर की सरकारों, मैनेजमेन्टों और यूनियनों की जानी-मानी संस्था है। आई एल ओ के मुताबिक किसी मशीन की कैपेसिटी 100 पीस की है तो मजदूर और मशीन के मेल से 80 पीस का प्रोडक्शन निर्धारित करना चाहिये क्योंकि थोड़ा-थोड़ा सुस्ताने के लिये वरकरों को ब्रेक देने जरूरी हैं। 80 परसैन्ट से ज्यादा प्रोडक्शन मजदूरों के स्वास्थ्य के लिये उजागर तौर पर हानिकारक है। इसलिये जहर पर चीनी की परत चढाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय कानून बना कि मशीन की कैपेसिटी के 80 प्रतिशत से अधिक प्रोडक्शन करवाने पर मजदूरों को इनसैन्टिव दिया जाये।

मजदूरों द्वारा अपने स्वास्थ्य की बलि देने के बदले में मैनेजमेन्टें इनसैन्टिव देती हैं।

★ नियम-सा बना है कि 80 से 90 प्रतिशत कैपेसिटी का प्रोडक्शन करने के लिये इनसैन्टिव की रेट कम होगी और 90 से 95 प्रतिशत के लिये अधिक। स्मार्ट यूनियनें 95 परसैन्ट से अधिक प्रोडक्शन की एग्रीमेन्ट नहीं करती क्योंकि इससे पड़ते अत्यधिक बोझ से मजदूर भड़क सकते हैं और पाँसा लीडरों व मैनेजमेन्ट के उलट पड़ सकता है।

लेकिन महान भारत में अन्धेर है। मारूति में इनसैन्टिव शुरु ही 86.7 प्रतिशत कैपेसिटी से अधिक प्रोडक्शन पर होता है। बाटा फरीदाबाद में 100 परसैन्ट के बाद इनसैन्टिव दिया जाता है। 120 प्रतिशत प्रोडक्शन की बातें यहाँ आम हैं – कैपेसिटी के 200 प्रतिशत उत्पादन तक की घोषणायें यहाँ मैनेजमेन्टें करती हैं। **तीस-पैंतीस साल की उमर में मजदूरों का बुढिया जाना इसका नतीजा है।**

★ 1988 में इनसैन्टिव स्कीम शुरु करके मारूति मैनेजमेन्ट 25 कार प्रति मजदूर की जगह 50 कार प्रति मजदूर प्रतिवर्ष का प्रोडक्शन लेने लगी है।

नवम्बर 1991 में इनसैन्टिव स्कीम आरम्भ करके हीरो होन्डा मैनेजमेन्ट 350 प्रतिदिन की जगह 800 मोटरसाइकिल प्रतिदिन का उत्पादन लेने लगी है।

1987 में इनसैन्टिव स्कीम स्टार्ट करके यूनियन से एग्रीमेन्टों और मिनी एग्रीमेन्टों के जरिये एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट 1986 के 382 करोड़ रुपये के प्रोडक्शन को 1987 में 482 करोड़, 1988 में 600 करोड़,1989 में 750 करोड़, 1990 में 1200 करोड़ की राह 2000 करोड़ रुपये के सालाना प्रोडक्शन के दायरे में पहुँची है। इस दौरान आधिकारिक तौर पर मैनेजमेन्ट ने एस्कोर्ट्स वरकरों पर50+15+50+20 प्रतिशत यानि 1000 की जगह 3100 ट्रैक्टर बनाने का वर्क लोड बढाया है और इनसैन्टिव के स्टैप बढा कर मजदूरों के पैसों में कटौती भी की है। और, अब एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट कह रही है कि कैपेसिटी के 65 परसैन्ट का ही प्रोडक्शन हो रहा है...

आयशर में 1974 में 450 वरकर महीने में 80 ट्रैक्टर बनाते थे। सुपरवाइजरों-फोरमैनों की गाली-गलौज-दादागिरी के जरिये प्रोडक्शन महीने में 150 ट्रैक्टर तक खींचा गया। सुपरवाइजरी धौंस अधिक बढाने पर मजदूरों के भड़क जाने के डर से आयशर मैनेजमेन्ट ने इनसैन्टिव स्कीम शुरु की। एक तरफ मजदूरों ने जलालत में कुछ राहत महसूस की और दूसरी तरफ इनसैन्टिव की हवस के चलते 1978 में प्रोडक्शन 500 ट्रैक्टर महीना पर पहुँच गया। 1982 में इनसैन्टिव स्कीम रिवाइज कर मैनेजमेन्ट महीने में 1000 ट्रैक्टर बनवाने लगी। और फिर इनसैन्टिव के चाबुक से खुद को हाँकते आयशर मजदूर अपने तन को पूरा खींच कर महीने में 1500 ट्रैक्टर बनाने लगे। इनसैन्टिव के जरिये मजदूरों को और ज्यादा निचोड़ने में दिक्कतें बढने लगी। 1989 में आटोमेशन - छँटनी वाली प्लान-एम लागू कर आयशर मैनेजमेन्ट ने इनसैन्टिव स्कीम भी खत्म की। इनसैन्टिव के जरिये मजदूरों के तन को पूरा खींचने के बाद आयशर मैनेजमेन्ट ने प्रोडक्शन बढाने के लिये मजदूरों के मन को खींचना आरम्भ किया है।

प्रोडक्शन बढाने के लिये नये प्लान्ट लगाने के खर्च से बचाती, ओवरटाइम का झँझट खत्म करती, सुपरवाइजरों-मैनेजरों के काम को हल्का करती, मजदूरों की प्रोडक्शन के प्रति बेरुखी को कम करती, किसान की तरह मजदूर को स्वयं को निचोड़ने को प्रोत्साहित करती और यूनियन लीडरों का इस्तेमाल कर इनसैन्टिव रेट कम रख कर बहुत-ही कम लागत पर प्रोडक्शन में उपरोक्त दर्शाई छलाँगे लगवाती इनसैन्टिव स्कीमों की बलि देना अब मैनेजमेन्टों के एजेन्डा पर ऊपर आ गया है। माजरा क्या है?

★ आयशर कनसलटैन्सी के मैनेजिंग डायरेक्टर फरमाते हैं : पैसों का लालच दे कर प्रोडक्शन बढाने के लिये प्रोत्साहित करना परम्परागत तरीका है। यह वरकर के तन की जरूरतों को अपील करता है। पशु तक इस प्रकार ट्रेन-प्रशिक्षित किये जाते हैं। पशु की बनिस्बत मजदूर भी मनुष्य हैं इसलिये इनसैन्टिव के जरिये प्रोडक्शन बढवाना मजदूरों की बुद्धि का अपमान करना है। और फिर पैसे दे कर ही प्रोडक्शन बढवाना है तो मैनेजरों की जरूरत ही क्या है? कुशल मैनेजमेन्टों को इनसैन्टिव स्कीमों की जरूरत ही नहीं है।

एस्कोर्ट्स के एक बड़े साहब हाँ में सिर हिलाते हैं और कोसते हैं दस साल पहले वालों को जिन्होंने एस्कोर्ट्स में इनसैन्टिव स्कीम आरम्भ की थी। असेम्बली लाइन प्रोडक्शन में इन्डीवीजुअल इनसैन्टिव नाकारा व नुकसानदायक होता है इसलिये मजबूरी में समूह हित के खतरे उठा कर मैनेजमेन्टों को ग्रुप इनसैन्टिव स्कीमें शुरु करनी पड़ी। अब मजदूरों के यह सामुहिक हित ही एस्कोर्ट्स में इनसैन्टिव स्कीम खत्म करने में मैनेजमेंट के लिये लोहे के चने बने हैं।

जापान और अमरीका में मैनेजमेन्टों द्वारा इनसैन्टिव स्कीमें खत्म करने की प्रक्रिया ने यहाँ मैनेजमेन्टों को इस सम्बन्ध में सजग कर दिया है इसलिये मारूति और हीरो होन्डा के बड़े साहब बुदबुदाते हैं : "मजदूर होते ही ऐसे हैं कि वे बिना काम किये पैसे चाहते हैं। इसलिये इनसैन्टिव स्कीम से भी मैनेजरों की भूमिका कम नहीं होती। इस स्कीम में खतरे तो हैं..."

दरअसल, मजदूरों के तन को पूरा खींचने के लिये इनसैन्टिव स्कीमें मैनेजमेन्टों के हाथों में सुपरवाइजरों की गुन्डागर्दी से भी अधिक धारदार हथियार रही हैं। परन्तु तन को खींचने की सीमायें हैं इसलिये एक हद के बाद इनसैन्टिव स्कीमों

(बाकी पेज दो पर)

मैनेजमेन्टों के बीच बहस..... (पेज एक का शेष)

के जरिये प्रोडक्शन नहीं बढाया जा सकता। यह हद जापान - अमरीका - आयशर - एस्कोर्ट्स में आ गई है। इसीलिये इनसैन्टिव के जरिये प्रोडक्शन लगातार बढाने के बाद एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट को अब इनसैन्टिव स्कीमों में बुनियादी कमियाँ नजर आने लगी हैं। एक बड़े साहब सुबकते हैं, "इनसैन्टिव के बावजूद मजदूर काम नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं?"

ज्ञान उत्पादन वाली फैक्ट्रियों के प्रोफेसरों का जवाब है : मजदूरों के तन को पूरा खींचने के बाद उनके मन को खींचने पर ध्यान केन्द्रित करो। मैनेजमेन्ट रिसर्च इस दिशा में एजाइल प्रोडक्शन, काल्पनिक कम्पनियाँ आदि-आदि की दलदल मजदूरों के लिये तैयार कर रही है।

★ आयशर में इनसैन्टिव स्कीम के जरिये 1100 मजदूरों से 1500 ट्रैक्टर प्रतिमाह बनवाती मैनेजमेन्ट ने जहर पर वेतन वृद्धि की परत लगा कर 450 मजदूरों से 1500 ट्रैक्टर बनवाने आरम्भ किये और इनसैन्टिव स्कीम भी खत्म की। अब आयशर मैनेजमेन्ट बिना किसी इनसैन्टिव के 400 मजदूरों से महीने में 2000 ट्रैक्टर बनवाने लगी है – एक सिलेंडर के 25 हॉर्स पावर वाले मॉडल में दो सिलेंडर का35 हॉर्स पावर मॉडल भी जोड़ दिया गया है। एस्कोर्ट्स में वरकरों को सुपरवाइजर की बजाय इनसैन्टिव दौड़ता है जबकि आयशर में मजदूरों के तन और मन को मशीन की पों-पों नियन्त्रित करती है। पों-पों संस्कृति को स्थापित करने के लिये मजदूरों की क्लास लगाना, पाठ पढ़ाना, पढ़े-लिखे बेवकूफ पैदा करना आयशर मैनेजमेन्ट के आवश्यक कार्यों में है – बड़े साहब के अनुसार यही कुशल मैनेजमेंट की पहचान है। मजदूरों के तन को पूरा खींचने के बाद मन को खींचने के लिये ही सरकारें और मैनेजमेन्टें मानव संसाधन विकास विभाग - ह्यूमन रिसोर्स डेवलेपमेन्ट डिपार्टमेन्ट बनाने में जुटी हैं।

इनसैन्टिव स्कीम के जरिये शॉकर डिवीजन में ही प्रोडक्शन 40,000 पीस से 80,000 और फिर 1,20,000 की राह 2 लाख पीस पर पहुँच कर एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट ने मजदूरों के तन को पूरा खींच दिया है। इनसैन्टिव की वजह से क्वालिटी खराब होती है, कैपेसिटी का 65 परसैन्ट प्रोडक्शन ही हो रहा है जैसा अब रोना-धोना एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट द्वारा इनसैन्टिव खत्म कर आयशर के नक्शे कदम चलने की तैयारी का हिस्सा है। हर मजदूर के वेतन में से 100 रुपये काट कर यूनियन लीडर को उसके स्वास्थ्य के लिये 14 लाख की थैली देना भी इसी सिलसिले की कड़ी लगती है।

काम रक्तबीज बन गया है। हमारे तन और मन को लहुलुहान करते इस आधुनिक रक्तबीज का विरोध करने के कारगर उपाय ढूँढना हमारी एक अरजेन्ट आवश्यकता बन गई है। बिना किन्हीं बिचौलियों के मजदूरों द्वारा मिल-जुल कर उठाये जाते छोटे-छोटे कदमों की श्रँखला ऐसा एक तरीका लगता है। बिना प्रतिनिधियों-नुमाइन्दों-लीडरों के चक्कर में पड़े, मजदूरों द्वारा स्वयं उठाये जा रहे बहुत छोटे-छोटे सामुहिक कदमों के आपस में जुड़ने व इन्हें जोड़ने में हमें वह कैपेसिटी नजर आती है जो आयशर-एस्कोर्ट्स-जापान-अमरीका में मैनेजमेन्टों के छक्के छुड़ा सकती है।■

कटलर हैमर

भरतिया कटलर हैमर में पहले हर वर्ष चुनाव हुआ करता था लेकिन पक्ष के लीडर महोदय ने एक चाल चल के पोजीशन और अपोजीशन की एक साइड मीटिंग रखी जिसमें यह तय हुआ कि पोजीशन और अपोजीशन का एक-एक (यानि खजान सिंह और रुमाल सिंह) जो बॉडी बनायेंगे वह पूरे मजदूरों को मान्य होगी। खजान सिंह और रुमाल सिंह ने खुद लीडर बन कर कुछ गुर्गों को केबिनेट में रख लिया जिसका विरोध कुछ ही दिनों बाद साइड मीटिंग के माध्यम से हो गया था लेकिन अपना उल्लू सीधा करने के लिये यह कह कर केबिनेट बरकरार रखी गई कि आगे एग्रीमेन्ट आ रही है इसलिये इस समय केबिनेट चेन्ज करना ठीक नहीं है। समय एग्रीमेन्ट का भी आ गया और 15 सितम्बर को डिमान्ड नोटिस दे दिया गया। साइड मीटिंग में बताया गया कि डिमान्ड नोटिस पर दो मीटिंग होने के बाद मजदूरों से यह बता दिया जायेगा कि कम्पनी का रुख क्या है। लेकिन कम्पनी को लीडरों ने मजदूरों का रुख बता दिया कि मजदूर अब कम्पनी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस पर कम्पनी ने हर मजदूर को इधर-उधर भेजना शुरु कर दिया है जिससे मजदूरों में एक दहशत-फैली हुई है। मजदूर डिमान्ड की फिक्र छोड़ अब अपनी नौकरी की सुरक्षा में लगे हुये हैं। दिन प्रति दिन कम्पनी दमन चक्र अपना रही है। अगर कोई मजदूर लीडरों से कहता है तो लीडर यह कहते हैं कि चुपचाप अपनी नौकरी बचाओ, हमें एग्रीमेन्ट करनी है। जबकि कम्पनी लीडरों को यह चेतावनी दे चुकी है कि आप पहले इलेक्शन के माध्यम से जीतो और फिर एग्रीमेन्ट करा लो। लेकिन लीडर अपनी कुर्सी के लिये मजदूरों पर दमन करवा रहे हैं। अक्टूबर माह से लीडर यह कहते थे कि हमारा एग्रीमेन्ट केल्विनेटर से 200 रुपये ज्यादा होगा लेकिन अब यह कहना शुरु कर दिया है कि अपनी नौकरी बचाओ। इस एग्रीमेंट के लिये मजदूरों से झूठी थाली भी उठवाई गई है। फिर भी अगर एग्रीमेन्ट नहीं होती है तो लीडरों के लिये चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है।

1.12.95 – कटलर हैमर का एक मजदूर

(जगह की कमी की वजह से हम एक अन्य कटलर हैमर वरकर का खत इस अंक में नहीं दे पा रहे हैं।)

केल्विनेटर एग्रीमेंट

एग्रीमेन्ट में लिखा है कि संयुक्त श्रमायुक्त के चातुर्य से यह हुई है और वर्लपूल मैनेजमेंट तथा यूनियन लीडर इसके लिये साहब के आभारी हैं। बड़े पैमाने पर मजदूरों की छँटनी वाली एग्रीमेंट करवाने के लिये ज्वाइन्ट लेबर कमिश्नर ने विशेष तौर पर चन्दीगढ से फरीदाबाद आ कर कैम्प आफिस बनाया था। शब्दजाल बुनने में साहब का चातुर्य अव्वल दर्जे का है इसलिये केल्विनेटर के आधे मजदूरों की नौकरी की बलि लेने वाली एग्रीमेंट की कुछ दिन फरीदाबाद में खूब बड़ाई की गई।

और जान लें : एग्रीमेंट में लिखा है कि केल्विनेटर के बल्लबगढ स्थित प्लान्टों का प्रोडक्शन बाद में तय किया जायेगा।■

आधी तनखा...(पेज चार का शेष)

बात है। यहाँ सब लीडर इस फैक्ट्री के वरकर रहे हैं। और अन्य मजदूरों की तरह झालानी वरकर भी जो लीडर सामने होते हैं उनसे खार खा कर, अपनी परेशानियों को कम करने के लिये उनकी जगह दूसरों को लीडर बनाते रहे हैं और हर बार बाद में माथा पीटा है कि यह तो तवे से चूल्हे में कूदने वाली बात रही। इस सिलसिले में झालानी वरकर घूम कर फिर उनके पास पहुँचे जिन्होंने मार-मार कर डेढ हजार मजदूरों से इस्तीफे लिखवाने में लीडरी की थी और सीटू से निकाल दिये जाने के बाद अलग झन्डा लगा कर अपनी दुकान खोल ली थी।

बदलते लीडरों के बावजूद 1973 से लगा सीटू झन्डा हटा दिया गया और डेढ साल पहले भूतपूर्व सीटू प्रेसीडेन्ट का झन्डा झालानी टूल्स के गेटों पर टाँग दिया गया। फन्ड नहीं होने के नाम पर हर वरकर से दस रुपये महीना चन्दा बाँधा गया और मैनेजमेन्ट ने मजदूरों के वेतन में से काट कर बीस-बाईस हजार रुपये इकट्ठे करके हर महीने लीडरों को देने शुरु कर दिये। पहले कदम से ही मजदूरों की तकलीफें बढने लगी पर नवम्बर 95 में बढिया एग्रीमेन्ट के सब्जबाग ने मजदूरों के विरोध को कम किया। इस साल अगस्त आते-आते हालात बहुत अखरने लगी पर वरकर फिर भी आस लगाये रहे – दूसरे कोई दीख भी नहीं रहे थे जिनके पीछे चला जाये। अगस्त-सितम्बर-अक्टूबर की तनखा 15 नवम्बर तक नहीं दी गई और मजदूरों की हाउसिंग की 22 एकड़ जमीन बेच कर पैसे हड़पने की स्कीम लगभग पूरी होने पर महाबली-महाज्ञानी लीडरों ने गेट मीटिंग ली और मजदूरों से कहा कि आधी तनखा पर काम करो ! ग्रेच्युटी के पैसे, एल टी ए - चार साल की वर्दियाँ - तनखा के पैसे... झालानी टूल्स के मजदूरों के 5 करोड़ रुपयों से अधिक कम्पनी में फँसा दिये गये हैं !! "कम्पनी को चालू रखने में ही मजदूरों की भलाई है" की दलील के जरिये मैनेजमेन्ट व लीडरों ने यह किया है और इसी दलील का इस्तेमाल मजदूरों के और पैसे फँसाने-डुबाने के लिये अभी भी किया जा रहा है।

झालानी टूल्स, इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, . . . के मजदूर क्या कदम उठायें? विचार करते समय यह भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि ईस्ट इंडिया मैनेजमेन्ट द्वारा 1983 में जूट मिल बन्द कर दिये जाने पर वहाँ के मजदूरों ने कई लीडरों को चन्दे दिये और झन्डे बदले पर उन 900 मजदूरों को उनकी सर्विस व वेतन का बकाया पैसा आज तक नहीं मिला है। और फिर, एक-एक किलो भी उठायें तो 2000 मजदूर 2 टन उठा लेंगे जो किसी वर्ल्ड चैंपियन के बस का नहीं है – एक किलो हर झालानी वरकर, हर मजदूर उठा सकता है।■

लेबर डिपार्टमेन्ट और सुप्रीम कोर्ट

फरीदाबाद में जब कोई मैनेजमेन्ट किसी मजदूर को नौकरी से निकाल देती है तब यहाँ लेबर इन्सपैक्टर - लेबर अफसर - डिप्टी लेबर कमिश्नर समझौता वार्ताओं के नाम पर डिसमिस किये गये वरकर को छह-आठ महीने खूब दौड़ते हैं। इस दौरान सम्बन्धित मैनेजमेन्ट से चढावे की मात्रा बढवाने के लिये श्रम विभाग के बेशर्म अधिकारियों, काले कोट वालों और लीडरों की तिकड़ी फूँ-फाँ कर परेशान मजदूर के तवे पर अपनी रोटियाँ सेंकती है। शुरु-शुरु में मजदूर की पोजिशन सोलिड होने की बात करते कड़क जुबान वाले गिरोहबाज मैनेजमेन्ट से सौदा पटते ही चिकने घड़े बन जाते हैं और वरकर की पोजिशन कमजोर होने, मैनेजमेन्ट के ताकतवर होने, कोर्ट-कचहरी में लटकने आदि के डर-भय-लफड़े दिखा कर बर्खास्त मजदूर पर मैनेजमेन्ट की बात मानने के लिये दबाव डालते हैं। जब कोई मजदूर इनके झाँसों में नहीं आता तब झल्ला कर मामले को चन्दीगढ भेज दिया जाता है।

डिसमिस किया गया वरकर फरीदाबाद में जोंकों से पिन्ड छूटने पर राहत की साँस लेता है और अपने केस के रेफर हो कर लेबर कोर्ट में आने का बेसब्री से इन्तजार करता है। पर मथुरा की नाँई चन्डी और चान्दी की नगरी तीन लोक से न्यारी है। रिटायरमेन्ट के निकट पहुँचे चन्डी की नगरी में चान्दी के भक्त काली का खप्पर सामने रख संयम-पेशन्स की प्रतिमूर्तियाँ बने बैठे रहते हैं। सम्बन्धित मैनेजमेन्ट द्वारा खप्पर को पर्याप्त चान्दी से ठनकाने पर कुछ बने-बनाये फिकरों में मजदूर को सूचित कर देते हैं कि उसका केस श्रम न्यायालय में भेजने लायक नहीं है। वरकर द्वारा इस पर इन्हें भेजी जाती अपील के लिये इन्होंने इनकार वाला एक वाक्य रच रखा है।

"हाई कोर्ट जाओ !" डिसमिस वरकर पर मैनेजमेन्ट की बात मानने के लिये इस प्रकार दबाव बढा दिया जाता है।

फरीदाबाद के छोटे काले कोट वालों की जगह चन्दीगढ के लम्बे काले कोट वालों की ऊँची फीसें और फिर टाइम बार्ड आदि-आदि बाल की खाल नोचने वाली मीन-मेख। अन्धे की बजाय काणे न्याय की हकीकत और आँख मारने के लिये तोहफों-सूटकेसों के आम चर्चे. . .

इस जँजाल के यहाँ शिखर, सुप्रीम कोर्ट में इक्का-दुक्का डिसमिस वरकर ही जा पाता है। **केल्विनेटर मैनेजमेन्ट द्वारा अप्रैल 1991 में नौकरी से निकाला गया एक मजदूर, एस के अग्निहोत्री केस रेफर करवाने के लिये सुप्रीम कोर्ट पहुँच ही गया।** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पेशल रिट पेटिशन नम्बर 16161/1995 में फैसला दिया है कि हरियाणा सरकार द्वारा वरकर के केस को लेबर कोर्ट को रेफर करने से इनकार करना गैर-कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार मजदूर पर लगाये गये आरोपों के सही या गलत होने का फैसला नहीं कर सकती। मैनेजमेन्टों और डिसमिस किये गये वरकरों के बीच विवाद के सब मुद्दों का कानूनी ढँग से निपटारा लेबर कोर्ट अथवा ट्रिब्युनल ही करेंगे। भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक गैर-कानूनी हैं चन्दीगढ में बैठे लेबर डिपार्टमेन्ट के साहबों के यह फिकरे : "आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय में सरकार ने आपके केस को कोर्ट में फैसले के लिये भेजने लायक नहीं समझा क्योंकि जाँच के दौरान यह नोटिस में आया है कि आप पर गम्भीर आरोप थे जिन्हें डोमेस्टिक इनक्वायरी में सिद्ध किये जाने के बाद आपको नौकरी से निकाला गया।" सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैर-कानूनी घोषित यह फिकरे हरियाणा सरकार की लेबर डिपार्टमेन्ट ने कितनी बार मजदूरों के खिलाफ इस्तेमाल किये हैं यह रिसर्च का विषय है और संख्या जोड़ने के लिये कम्प्यूटर की जरूरत होगी। "डोमेस्टिक इनक्वायरी" यानि आरोप लगाने वाली और फैसला सुनाने वाली मैनेजमेन्ट ही !

अन्य कोई फच्चर नहीं डाला गया तो पाँच साल के लटकों-झटकों के बाद केल्विनेटर के बर्खास्त मजदूर का केस अब हरियाणा सरकार द्वारा श्रम न्यायालय में निर्णय के लिये भेज दिया जायेगा। राज्यपाल की तरफ से गढे-गढाये फिकरों में तीन महीनों में फैसला करने को कहा जायेगा पर तीन महीनों में तो पहली तारीख ही पड़ेगी। फिर कभी वकीलों द्वारा तैयारी नहीं कर पाने के कारण तारीख तो कभी जज के बीमार होने की वजह से तारीख; कभी वकीलों की हड़ताल के कारण तारीख तो कभी जज के रीडर अथवा राइटर के नहीं होने की वजह से तारीख; साढे तीन-तीन महीनों के गैप वाली तारीखें ... तारीख-दर-तारीख का यह घनचक्कर आमतौर पर श्रम न्यायालय में पाँच साल में एक चक्कर पूरा करता है। इस पूरे दौर में निकट और दूर के चश्मों से जज यह देखने की कोशिश करते हैं कि कौन-सी बात वह मजदूर के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर पुनः हाई कोर्ट - सुप्रीम कोर्ट वाली सीढी...

अन्धे नहीं बल्कि काणे और एक ही तरफ देखने वाले न्याय पर आस लगाने की बजाय इस जँजाल को जँजाल के तौर पर ही लेना और हो सके तो कुछ इस्तेमाल करना ही मजदूरों के हित में लगता है।■

पेन्शन स्कीम

मई 1993 में शुरु की जाने वाली पेन्शन स्कीम लीडरों के समर्थन के बावजूद पोल-पट्टी खुल जाने से फुस्स हो गई थी। इधर थोड़ा-सा रंग-रोगन लगा कर सरकार ने राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा 16 नवम्बर से पेन्शन स्कीम लागू करने की घोषणा की है और लीडरों की ना-नुकुर पर केन्द्रिय श्रम मंत्री स्कीम कैन्सल करने की बात कर रहे हैं। घोषणा के बाद सुझाव माँगने, बात चीत करने और विचार करने का दौर चला है इसलिये अभी पेन्शन स्कीम का बिल पार्लियामेन्ट द्वारा पास करने की सम्भावना कम ही है।

बड़े-बूढों से बचपन में सुने किस्सों की वजह से सरकार व पेन्शन के सम्बन्ध में मजदूरों में मौजूद पूर्वाग्रहों और रेडियो-टी वी-अखबारों के प्रचार के बावजूद मजदूरों के पैसे हड़पने की इस स्कीम के फिर गड़बड़ा जाने के डर से सरकार ने जहर पर एक और परत चढाई है। इसके लिये सरकार ने मैनेजमेन्टों की आज वालों की उँगलियाँ और कल वालों के हाथ काटने की तिकड़म इस्तेमाल की है – कम नुकसान के फायदा नजर आने के भ्रम का इस्तेमाल आजकल मजदूरों के खिलाफ धड़ल्ले से किया जा रहा है।

सरकार प्रचार कर रही है कि पहले का प्रोविडेन्ट फन्ड मजदूरों को पूरा दे देगी परन्तु 16 नवम्बर 95 के बाद से आधे फन्ड को ले लेगी। साथ ही आठ हजार करोड़ सरकार मजदूरों के फैमिली फन्ड के खा रही है। दर अस्ल, सरकार ने जो पेन्शन स्कीम बनाई है उसमें मजदूरों का जो पैसा वह खा जायेगी उसका एक रुपया सैंकड़ा के हिसाब से भी ब्याज नहीं देगी। मजदूरों के जिन पैसों को सरकार हड़पेगी उन पर 35-40 पैसे प्रति सौ रुपयों की दर से जो ब्याज बनता है उतने पैसे वरकर को पेन्शन के नाम पर दिये जायेंगे और. . . और मूलधन गायब, सरकार के पेट में। जबकि, आज कोई मजदूर ब्याज पर पैसे लेता है तब उसे पाँच से दस रुपये प्रति सैंकड़ा प्रतिमाह ब्याज के देने होते हैं तथा मूलधन भी लौटाना पड़ता है।

इस साल सरकार ने बजट में 58 हजार करोड़ रुपयों के घाटे का जो अनुमान पेश किया था वह चुनावी रेवड़ियाँ बाँटने से दस हजार करोड़ रुपये और बढ गया है। पहले कदम के तौर पर ही सरकार मजदूरों के प्रोविडेन्ट व फैमिली फन्ड से दस हजार करोड़ रुपये हड़प कर उसकी पूर्ति करना चाहती है। परन्तु मजदूरों के लिये अधिक नुकसानदायक है उनसे छीनी जाने वाली इस रकम का आने वाले दिनों में बढते जाना। यह इसीलिये है कि सरकार बनाने की जुगत में भिड़ी पार्टियाँ रस्मी चूँ-चपर से अधिक इस स्कीम का विरोध नहीं करेंगी।

मजदूरों को अपने नफे-नुकसान का हिसाब लगाने से रोकने के लिये ही सरकार ने पेन्शन स्कीम को मजदूरों की मर्जी पर नहीं छोड़ा है। मजदूरों द्वारा पेन्शन स्कीम को ठुकरा दिये जाने के डर से ही सरकार इसे कम्पलसरी लागू करना चाहती है।

अपने ही पैसों को फन्ड दफ्तर से हासिल करने में जो दिक्कतें अभी ही मजदूरों को आती हैं उनसे हम सब परिचित हैं। रिश्वत दे कर ही हम अपने पैसे निकलवाते हैं। एकमुश्त पैसों की वरकरों को कितनी जरूरत रहती है यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में मजदूर के आधे पैसों को मजदूर की भलाई के नाम पर हड़पने को क्या कहेंगे? जबरन है इसलिये यह डकैती ही है। वेतन के लिये मरने और मारने वाले फौजी तक अपनी पेन्शन में कटौती करवा कर एकमुश्त पैसे लेने के लिये पापड़ बेलते हैं। और, दुनियाँ-भर में सरकारें कर्ज में इतनी डूब गई हैं तथा दिन-ब-दिन इतनी तेजी से डूबती जा रही हैं कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने तक में लफड़े हो रहे हैं। महाबली अमरीका सरकार पर कर्ज के पहाड़ ने वहाँ राष्ट्रपति और संसद में वह घमासान मचाया है कि हफ्ते-भर सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन घर बैठा दिया गया। सरकारी कर्मचारियों के वेतन का ही यह हाल हो रहा है तब आगे-आगे पेन्शन वालों की दुर्गत का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ऐसे में भी ऐसी थोथी दलीलें दी ही जायेंगी कि अपने से तो पैसे खर्च हो जायेंगे जबकि सरकार माई-बाप पैसे ले लेने पर बुढापे में पेन्शन तो देगी ही!!■

इस अंक की हम पाँच हजार प्रतियाँ ही फ्री बाँट पा रहे हैं। दो हजार मजदूर अगर हर महीने दो-दो रुपये दें तो दस हजार प्रतियाँ फ्री बँट सकेंगी।

19 दिसम्बर को सुबह दस बजे, 20 को शाम 5 बजे और 21 दिसम्बर को रात 8 बजे इस अखबार के दिसम्बर अंक पर मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी में चर्चा होगी। हर कोई इसमें भाग ले सकता है।

आधी तनखा

जून 1982 में यूनियन लीडरों ने गेट मीटिंग में रोना रोया था कि मैनेजमेन्ट के पास कच्चा माल खरीदने के लिये पैसे नहीं हैं इसलिये मजदूरों को अपने वेतन में एक चौथाई कटौती मान लेनी चाहिये। काफी उठा-पटक के बाद , उसी फैक्ट्री में उन्हीं लीडरों ने नवम्बर 1995 में गेट मीटिंग में मैनेजमेन्ट की हालत खस्ता होने का रोना रो कर मजदूरों से कहा है कि वे आधी तनखा में काम करें।

गेडोर उर्फ झालानी टूल्स के मजदूरों की परेशानियों के सबक सब मजदूरों के लिये हैं।

1973-74 में प्रोडक्शन बढाने के लिये सुपरवाइजरों-फोरमैनों की गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की जगह मैनेजमेन्ट ने ग्रुप इनसैन्टिव स्कीम शुरु की। गेडोर वरकर खुद को हाँकने लगे और इसे लीडरों द्वारा आजादी दिलाना स्वीकार किया गया। मजदूरों के तन को खींचता ग्रुप इनसैन्टिव का चाबुक प्रोडक्शन में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि लाया। इनसैन्टिव के पैसों की मरहम-पट्टी के साथ गेडोर मजदूरों का तन पूरा खिंचा ही था कि अचानक 1982 में उन्हें पता चला कि मैनेजमेन्ट को प्रोडक्शन नहीं चाहिये। मन्दी में माल की माँग कम, विश्व मन्दी, इनसैन्टिव ने बेड़ा गरक कर दिया...

झालानी टूल्स हो चाहे अन्य कोई फैक्ट्री, मजदूरों द्वारा किये जाते प्रोडक्शन का आधे से ज्यादा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी और अन्य टैक्सों के रूप में मन्त्री-सन्तरी-अफसर वाले सरकारी तन्त्र के पेट में जाता है। कम्पनी को दिये कर्ज पर बैंक-बीमा द्वारा वसूला जाता ब्याज दस-पन्द्रह परसैन्ट प्रोडक्शन हड़प लेता है और इतना ही शेयर होल्डर। दस-पन्द्रह परसैन्ट मैनेजमेन्ट के ताम-झाम और हेरा-फेरियों की भेंट चढ़ जाता है। अपने द्वारा किये प्रोडक्शन का एक-दो परसैन्ट हिस्सा ही मजदूरों के पल्ले पड़ता है। यही बुनियाद है दुनियाँ-भर में तोपों-गोलों के जखीरों, चप्पे-चप्पे पर थानों, मंत्रियों के आगे-पीछे सन्तरियों व कारों की कतारों, फाइव स्टार होटलों और... और गन्दी बस्तियों में घुट-घुट कर दम तोड़ते मजदूरों की। भाप-कोयले, बिजली, इलेक्ट्रोनिक्स द्वारा बढी काम की रफ्तार व तीव्रता के बावजूद बढती संख्या में कम्पनियों के बन्द होने की जड़ भी यही है।

किसी कम्पनी के बीमार होने पर सरकार, बैंक-बीमा, शेयर होल्डरों, मैनेजमेन्ट के हिस्सों, यानि प्रोडक्शन के 98 परसैन्ट की हिस्सा-पत्ती में कटौती की बात करना विगत में ब्रह्महत्या, गोहत्या, विष्णु अवतार राजा की हत्या, पैगम्बर के खलीफा के कत्ल, पोप का मर्डर करने की वकालत करने के समान है। इसलिये आमतौर पर बीमार कम्पनी को स्वस्थ करने के लिये जो किया जाना चाहिये वह नहीं किया जाता बल्कि देश के नाम पर अथवा कम्पनी के नाम पर मजदूरों से ही कुर्बानी माँगी जाती है। कभी-कभार अपनी फौजी अथवा राजनीतिक जरूरत होने पर इक्की-दुक्की कम्पनी के मामले में इस 98 परसैन्ट लूट में से कुछ हिस्से को छोड़ा जाता है और इसे देशहित अथवा जनहित में सब्सिडी देना प्रचारित किया जाता है। आमतौर पर अपने प्रोडक्शन का एक-दो परसैन्ट हिस्सा ही पा रहे मजदूरों के आलस्य - कामचोरी - वेतन अधिक को कम्पनी की बीमारी का कारण दर्शाया जाता है और कम्पनी के इलाज के लिये हमला मजदूरों पर केन्द्रित किया जाता है। मैनेजमेन्टें व यूनियनें मिल कर मजदूरों को और अधिक निचोड़ने लगती हैं और कम्पनी की बीमारी बढती जाती है। यह तो किसी बीमार कम्पनी के मजदूरों द्वारा हर प्रकार के बिचौलियों को ठुकरा कर उठाये सामुहिक कदम ही होते हैं जो कि मैनेजमेन्ट और सरकार के लिये आफत बन जाते हैं। "किसी न किसी को अगुआ बनाना ही होगा" के व्यापक असर की वजह से मजदूरों द्वारा खुद कदम उठाना अभी छुट-पुट रूप में ही होता है पर जहाँ भी वरकर ऐसा करते हैं वहाँ बला को टालने के लिये सरकार-बैंक-बीमा-शेयर होल्डर-मैनेजमेन्ट अपने हिस्सों में कटौती कर मजदूरों को उनका कानूनी हिस्सा तो देते ही हैं, हेरा-फेरियों पर परदे बनाये रखने के लिये लूट में से एक हिस्सा भी लौटाते हैं।

जैसा कि आमतौर पर किया जाता है, गेडोर मैनेजमेन्ट ने संकट से पार पाने के लिये मजदूरों के वेतन में कटौती, आटोमेशन तथा छँटनी की राह पर कदम बढाये और यूनियन ने इसमें बढ-चढ कर मैनेजमेन्ट की मदद की है तथा कर रही है। मजदूरों द्वारा मैनेजमेन्ट के हमलों के सतत विरोध के कारण इन बारह-तेरह वर्षों में कई मैनेजर और लीडर बदले हैं।

1982 में मैनेजमेन्ट आटोमेशन और छँटनी को रामबाण मानती थी। फरीदाबाद सीटू का प्रेसीडेन्ट तब गेडोर यूनियन का प्रधान था। वरकरों को राजी कर छँटनी स्कीम लागू करने का पाँसा जब उलटा पड़ गया तब छँटनी के मुख्य मुद्दे को छिपाने के लिये मैनेजमेन्ट और यूनियन ने तनखा में देरी, बोनस कम, ले आफ जैसे मामलों में मजदूरों को उलझाने की कोशिश की। ईस्ट इंडिया कॉटन मिल में तीन हजार मजदूरों की छँटनी के लिये मैनेजमेन्ट ने 1979 में बोनस के मामले में हड़ताल को जरिया बनाया था। ले आफ के खिलाफ 12 फरवरी 1983 को टूल डाउन स्ट्राइक का आह्वान कर और फिर 20 मार्च को खुद हड़ताल तोड़क बन कर यूनियन ने गेडोर में ऐसी ही कोशिश की लेकिन मजदूरों ने लीडरों को मार भगाया था।

मजदूरों ने अपने दम पर घाघ और गुन्डे लीडरों को भगाया था परन्तु अन्य मजदूरों की ही तरह गेडोर-झालानी मजदूरों में भी यह सोच कूट-कूट कर भरी है कि कोई न कोई तो अगुआई के लिये चाहिये ही। लीडर की धाक, पुलिस-प्रशासन में पहुँच, मैनेजमेन्ट मानती है, तगड़ी पार्टी का है, मंत्री से जान-पहचान है, कानून जानता है, बोलना जानता है, पढा-लिखा है, घिसा-पिटा है, अब सुधर गया है, अपना पूरबिया या लोकल है, अपनी जात-बिरादरी का है, अपनी जान-पहचान का है, अपना पड़ोसी है आदि-आदि व्यंजनों के घालमेल से हम लीडर चुनते समय अपने लिये कड़वी खिचड़ी पकाते हैं। यही गेडोर मजदूरों ने किया और "अब सुधर गया है, इनसैन्टिव स्कीम का जानकार है, लेबर मिनिस्टर से जान-पहचान है" वाले की लीडरी स्वीकार की।

नये लीडरों ने नये सिरे से तिकड़में की और बड़े पैमाने पर मजदूरों की छँटनी के लिये मैनेजमेन्ट ने थर्ड प्लान्ट में तालाबन्दी की तथा लीडरों ने फर्स्ट प्लान्ट में प्रोडक्शन जारी रखने की जी-तोड़ कोशिश की। थर्ड प्लान्ट के गुस्से में उबलते मजदूरों ने उन लीडरों को भी मार भगाया।

गेडोर मैनेजमेन्ट ने तब फरीदाबाद सीटू प्रेसीडेन्ट को फिर आगे किया और सरकार की मदद से तांडव हुआ। फैक्ट्री गेट के अन्दर पुलिस चौकी। ट्रकों में हथियारबन्द पुलिस द्वारा तीनों प्लान्टों के चक्कर लगाना। मैनेजमेन्ट और यूनियन द्वारा प्लान्टों के अन्दर खुली गुन्डागर्दी। घरों में जा कर मजदूरों को धमकाना और ड्यूटी आते-जाते में रास्तों में मार-पीट। लेबर डिपार्टमेन्ट-प्रशासन-प्रेस की चुप्पी व मिलीभगत। मार-मार कर इस्तीफे लेने पर भी मजदूरों के प्रतिरोध के कारण गेडोर के 3500 मजदूरों में से 1500 को नौकरी से निकालने में एक साल लगा।

लेकिन प्रोडक्शन के एक-दो परसैन्ट हिस्से को चाहे जितना कम कर लो, बीमार कम्पनी स्वस्थ नहीं होगी फिर चाहे वह मैटल बॉक्स हो या झालानी टूल्स या फिर इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड। गेडोर के जर्मनी स्थित तीन प्लान्ट बन्द हो गये। गेडोर के भारत स्थित छह प्लान्टों का झालानी टूल्स के नाम से नया नामकरण हुआ तथा मजदूरों का और कचूमर निकालने का सिलसिला आरम्भ कर दिया गया। नवम्बर 1987 में हरियाणा विधान सभा के लिये चुनावों में सी पी एम उम्मीदवार की जमानत जब्त होने पर फरीदाबाद सीटू प्रेसीडेन्ट को 1984 के करमों के लिये पार्टी से निकाल दिया गया और मजदूरों से मार-मार कर इस्तीफे लिखवाने वाले उसके लठैतों को झालानी टूल्स में सीटू यूनियन के लीडर बना दिया गया।

चमत्कार की आस में यज्ञ-हवन करती, मन्दिर बनवाती, मनहूस करार दिये पेड़ कटवाती, अशुभ तीसरी मंजिल गिरवाती, दरवाजों की दिशा बदलती झालानी टूल्स मैनेजमेन्ट ने दूध की आखिरी धार तक निचोड़ने के लिये सम्भव-असम्भव सब प्रकार की कोशिशें की हैं और कर रही है। मजदूरों का वेतन रोकना, बैंक-बिजली-ई एस आई-पी एफ अफसरों को रिश्वत देना, कम्पनी का प्लॉट बेचना, स्टाफ हाउसिंग की जमीन बेचना ... और लठैत से लीडर बनों से आठ घन्टों के प्रोडक्शन को चार घन्टों का प्रोडक्शन करार देने वाली एग्रीमेन्ट करना। कदम-कदम पर मजदूरों ने मैनेजमेन्ट का विरोध किया। वरकरों द्वारा अधिक विरोध करने पर सीटू से निकाल दिये गये बड़े बदमाशों के फिर आ जाने का भय दिखा कर उनके पूर्व लठैतों ने काफी दिन झालानी मजदूरों को ब्लैकमेल किया। परन्तु 8 घन्टे का प्रोडक्शन बराबर 4 घन्टे का और मैटेरियल, बिजली तथा मशीन की जिम्मेदारी मैनेजमेन्ट की नहीं एवं उत्पादन कम होने पर तनखा काटने से वरकर इस कदर झल्लाये कि उन्होंने इन लीडरों को भी चलता किया। पर फिर वही बात : कोई न कोई तो अगुआई को चाहिये ही ! कानून के जानकार के नाम पर झालानी मजदूरों ने लीडरी का साफा नये सिर पर बाँधा पर शीघ्र ही इन नये मौलानाओं से भी तौबा कर ली।

लीडरों द्वारा खुलेआम झूठ बोलना झालानी मजदूरों के लिये आम बात हो गई है। लीडरों द्वारा फैक्ट्री में काम नहीं करना, प्लाट खरीदना-कोठी बनाना-वर्कशाप लगाना अन्य फैक्ट्रियों की ही तरह झालानी टूल्स में भी आम

(बाकी पेज दो पर)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० ऑफसैट दिल्ली से मुद्रित किया।
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी – 548 नेहरू ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।
RN 42233 **पोस्टल रजिस्ट्रेशन** L/HR/FBD/73